बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 5/5/2015

संचिका संख्या–17/आरोप–04/2015 240 (17) /स्वा०, उदयकांत, सह प्राध्यापक–सह–विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को आपातकालीन स्थिति में अपने कार्यों से लगातार अनुपस्थित रहने एवं निदेश के बावजूद अस्पताल में उपस्थित नहीं होने के आरोप तथा आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल की अनुशंसा के आलोक में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा0 उदयकांत का मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 (1) एवं (2) के तहत निलंबन अवधि में डा0 उदयकांत को जीवन–यापन भत्ता देय होगा।

4. डा0 उदयकांत के विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित कर संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सुरेश कुमार शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–17/आरोप–04/2015 240 (17) /स्वा0, पटना, दिनांक– 5/5/2015

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले0एवंह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय एवं संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna

प्रतिलिपि :—माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव(श्री शर्मा) एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा—17) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा— 17 एवं 01 तथा आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna